न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या – 10 / 2017

अपीलकर्तागण

1 रूखाराम 2 केसाराम पिसरान पदमाराम जाति जाट निवासी हेमावास (शिवकर) तहसील व जिला बाड़मेर।

बनाम

उत्तरदातागण

1 ग्राम पचायत शिवकर व मालाबेरी जरिये सरपंच
2 हेमराजराम 3 नाथाराम पिसरान हनुमान
4 रामाराम पुत्र पदमाराम जाति जाट निवासी हेमाराम (शिवकर) तहसील व जिला बाड़मेर
5 शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा कुड़ला।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 RLR Act.

उपस्थिति :– 1 श्री वीरमाराम चौधरी वकील अपीलकर्ता

आदेश

दिनांक 28.12.2017

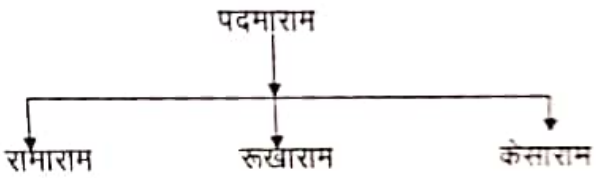

संक्षिप्त में अपीलकर्तागण द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलकर्ता एवं उत्तरदाता संख्या 04 रामाराम स्वर्गीय पदमाराम के प्रथम वर्ग के विधिक वारिसान है, जिनकी वंश वृक्षावली निम्नप्रकार है:–

अपीलकर्ता एवं उत्तरदाता संख्या 04 के पिता पदमाराम की खातेदारी की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 926, 927, 928 की सह खातेदारी की कृषि भूमि तत्कालीन गांव शिवकर वर्तमान राजस्व ग्राम हेमावास में आया हुआ था। अपीलकर्तागण तथा उत्तरदाता संख्या 04 के पिता का देहान्त लगभग सन् 1971 में हो गया, उसके देहान्त के समय उसके प्रथम वर्ग के जिवित वारिसान में उसके पुत्र अपीलकर्तागण व उत्तरदाता संख्या 04 पुत्र थे। हिन्दु उत्तरदाधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार सहखातेदार पदमाराम के देहान्त के क्षण उसकी सम्पति के अधिकार उसके तीनो वारिसान के बराबर हिस्से में निहित हो गये। अपीलकर्तागण के पिता पदमाराम के देहान्त पर विरासन के नामान्तकरण की कार्रवाई अपीलकर्ता के भाई रामाराम उत्तरदाता संख्या 02 द्वारा करवाई गई। उसने मृतक पदमाराम के वारिसान रूखाराम व केसाराम की जगह गलत तथ्य पेश किये। उसने स्वर्गीय पदमाराम के वारिसान उत्तरदाता सख्या 04 के साथ केसराराम व रेखाराम को ही बताकर पटवारी हल्का शिवकर से विरासत का नामान्तकरण सख्या 138 तत्कालीन ग्राम शिवकर का खुलवाया एवं उसकी जाच किये बिना ग्राम पंचायत की बैठक मे अपीलाधीन आदेश स्वीकृत कर दिया तथा अपीलाधीन अराजी के खातेदारी अभिलेख मे स्वर्गीय पदमाराम के स्थान पर उत्तरदाता सख्या 04 व रूखाराम व केसाराम की जगह रेखाराम व केसराराम का नाम खातेदारी मे अकन हो गया। यह विधि का सारभूत सिद्धान्त है कि खातेदार की मृत्यु पर मृतक के सभी विधिक वारिसान के नाम का अकन विरासत के नामान्तकरण मे न भी करावे तो भी मृतक के शेष रहे वारिसान के हकूको पर कोई प्रभाव नही पडता तथा विरासत के नामान्तकरण को अपील से चुनौति देकर अपना पक्ष अभिलेख मे दायर करवा सकते है। लिहाजा अपील अन्दर म्याद सुमार करते हुए नामान्तकरण सख्या 138 पर पारित उत्तरदाता संख्या 01 के आदेश को निरस्त कर मृतक सह खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पदमाराम की फौतगी पर विरासत के नामान्तकरण मृतक के प्रथम वर्ग के विधिक वारिसान उत्तरदाता संख्या 04 के साथ अपीलान्टगण के नाम संशोधित कर स्वीकृत करने का आदेश प्रदान करावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर उत्तरदातागण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। उत्तरदाता संख्या 01, 04 व गवाह हेराजराम द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्टगण का नाम रेखाराम के स्थान पर रूखाराम तथा केसराराम के स्थान पर केसाराम जो सही नाम है अंकन किया जावें।

वकील अपीलकर्ता की बहस सुनी गई। वकील अपीलकर्ता द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि स्वर्गीय पदमाराम के देहान्त के दौरान विरासतन पारित नामान्तकरण संख्या 138 में तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा रूखाराम के स्थान पर रेखाराम तथा केसराराम के स्थान पर केसाराम नाम दर्ज किया था जो अशुद्ध नाम है। वकील अपीलकर्ता द्वारा अपील के समथन में प्रस्तुत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड इत्यादी की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त नामान्तकरण संख्या 138 को निरस्त कर सही नाम से नया नामान्तकरण पारित करवाने के आदेश फरमावे।

प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मृतक पदमाराम के मृत्यु के पश्चात पारित नामान्तकरण संख्या 138 जो मृतक के विधिक वारिसान के नाम पारित किया गया था। परन्तु नामान्तकरण पारित करते समय रूखाराम के स्थान पर रेखाराम तथा केसाराम के स्थान पर केसराराम नाम दर्ज हो गये। प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार सही नाम रूखाराम व केसाराम है, जिसे शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अन्दर म्याद सुमार करते हुए स्वीकार की जाकर मौजा तत्कालीन गांव शिवकर वर्तमान राजस्व ग्राम हेमावास के खेत खसरा संख्या 926, 927, 928 की में पारित नामान्तकरण संख्या 138 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर को निर्देश दिये जाते है कि सह खातेदार पदमाराम की फौतगी पर विरासत का नामान्तकरण प्रथम वर्ग के विधिक वारिसान उत्तरदाता संख्या 04 के साथ अपीलान्टगण के नाम रेखाराम के स्थान पर रूखाराम व केसराराम के स्थान पर केसाराम शुद्ध कर स्वीकृत करावे।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी (SDO)
बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 28.12.2017 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (SDO)
बाड़मेर

Scanned by CamScanner